रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09092026-276088
CG-DL-E-09092026-276088

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4772] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2026/भाद्र 17, 1948
No. 4772] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2026/BHADRA 17, 1948

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2026

विषय: भारतीय ओलंपिक संघ के संबंध में राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 की धारा 37 के अंतर्गत अधिसूचना

का.आ. 4962(अ).— जबकि राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम, 2025 (जिसे इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) सभी राष्ट्रीय खेल निकायों के लिए शासन संबंधी रूपरेखा प्रदान करता है तथा यह भी उपबंधित करता है कि प्रत्येक राष्ट्रीय खेल निकाय अपने कार्यकलापों के शासन में मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय चार्टरों और संविधियों द्वारा निर्देशित होगा।

2. और जबकि, मंत्रालय को भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) से एक पत्राचार प्राप्त हुआ है कि अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुपालन में, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) को उनकी टिप्पणियों के लिए संशोधित गठन का प्रारूप भेजा गया था। आईओसी ने विशेष रूप से सिफारिश की है कि कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या अपरिवर्तित रखी जाए और यह संख्या भारत में आईओसी के सदस्य(सदस्यों) की संख्या पर निर्भर न रहे। इसका अर्थ यह होगा कि आईओसी के सदस्य(सदस्यों) के अतिरिक्त, कार्यकारी परिषद में 15 (पंद्रह) सदस्य होंगे। आईओए ने अधिनियम की धारा 34 और 37 के अधीन आवश्यक और अनुज्ञेय छूट, शिथिलीकरण प्रदान करने और/या ऐसे स्पष्टीकरण जारी करने का अनुरोध किया है, जो आईओए को

अधिनियम के शासन सिद्धांतों और अन्य अपेक्षाओं का पालन करते हुए ओलंपिक चार्टर और आईओसी विनियमों की लागू अपेक्षाओं का अनुपालन करने में सक्षम बनाए।

3. और जबकि, केंद्र सरकार ने मंत्रालय को आईओसी की सिफारिश से अवगत कराते हुए आईओए के उपर्युक्त पत्राचार पर विचार किया है और वह संतुष्ट है कि आईओए की कार्यकारी परिषद की संरचना के संबंध में आईओसी द्वारा विनिर्दिष्ट उक्त अपेक्षा को अधिनियम की अपेक्षाओं के साथ संरेखित किया जाना आवश्यक है। केंद्र सरकार संतुष्ट है कि परिस्थितियाँ अधिनियम की धारा 37 (2) के अधीन शक्तियों के प्रयोग को न्यायोचित ठहराती हैं।

4. अतः, अब, अधिनियम की धारा 37 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, केंद्र सरकार एतद्वारा यह स्पष्ट करती है कि अधिनियम की धारा 4 (1) (ख) में विहित अपेक्षाएँ भारतीय ओलंपिक संघ पर उस सीमा तक लागू नहीं होंगी, जो भारत में आईओसी के ऐसे सदस्य(सदस्यों) को समायोजित करने के लिए आवश्यक है, जिन्हें ओलंपिक चार्टर के अधीन कार्यकारी समिति के पदेन मतदान करने वाले सदस्य(सदस्यों) के रूप में, कार्यकारी समिति के विद्यमान 15 (पंद्रह) सदस्यों के अतिरिक्त, होना आवश्यक है। आईओए यह सुनिश्चित करेगा कि उसका गठन और शासन संबंधी रूपरेखा अन्यथा अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों और ओलंपिक चार्टर के अनुरूप बनी रहे।

[फा. सं. 12-12/2025-शासन-I]

कुणाल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(Department of Sports)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2026

Subject: Notification under Sections 37 of the National Sports Governance Act, 2025 with regard to the Indian Olympic Association

S.O. 4962(E).— Whereas the National Sports Governance Act, 2025 (hereinafter referred to as the "Act") provides governance framework for all National Sports Bodies and also states that every National Sports Bodies shall primarily be guided by the International Charters and Statutes in the governance of their affairs.

2. And whereas, Ministry is in receipt of a communication from the Indian Olympic Association (IOA) that in compliance with the requirements of the Act, the Draft amended Constitution was sent to the International Olympic Committee (IOC) for their comments. The IOC has specifically recommended that the number of the Executive Council Members to be kept unchanged and shall remain independent of the number of IOC Member(s) in India. This would mean that besides the IOC Member(s), the Executive Council comprises of 15 (fifteen) members. The IOA has sought grant of exemption, relaxations and/or issuing such clarifications as may be necessary and permissible under Sections 34 and 37 of the Act, to enable the IOA to comply with the applicable requirements of the Olympic Charter and IOC Regulations while continuing to adhere to the governance principles and other requirements of the Act.

3. And whereas, the Central Government has considered the aforesaid communication of the IOA, informing the Ministry about IOC's recommendation and is satisfied that such aforesaid requirement as specified by IOC needs to be harmonised with the requirements of the Act concerning the composition of the Executive Council of IOA. The Central Government is satisfied that the circumstances warrant exercise of the powers under Section 37(2) of the Act.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 37(2) of the Act, and subject to the conditions specified herein, the Central Government hereby clarifies that, requirements prescribed under Section 4(1)(b) of the Act shall not apply to the Indian Olympic Association to the extent necessary to accommodate the IOC Member(s) in India, who are required under the Olympic Charter to be ex-officio voting member(s) of the Executive Committee, in addition to the existing 15(fifteen) members of the Executive Committee. The IOA shall ensure that its Constitution and governance framework remain otherwise in conformity with the Act, the rules made thereunder and the Olympic Charter.

[F. No. 12-12/2025-Gov-I]

KUNAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAVINDER KUMAR Digitally signed by RAVINDER KUMAR
Date: 2026.09.09 19:15:02 +05'30'